

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2014

क्र. 693-18-भू-अभि.-2014.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील पुष्परजगढ़, जिला अनूपपुर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर
(1)	(2)
मूल ग्राम सरईपतेरा पटवारी हल्का नंबर 30 पृथक किया गया क्षेत्रफल 323.465 हे.	राजस्व ग्राम—भैंसानटोला पटवारी हल्का नंबर 30.

क्र. 694-18-भू-अभि.-2014.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील पुष्परजगढ़, जिला अनूपपुर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर
(1)	(2)
मूल ग्राम खांटी पटवारी हल्का नंबर 49(80) पृथक किया गया क्षेत्रफल 212.332 हे.	राजस्व ग्राम—ददराटोला पटवारी हल्का नंबर 49(80).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नन्दकुमारम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 18 सितम्बर 2014

क्र. 1551.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील बण्डा, जिला सागर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर
(1)	(2)
1. पाटन, प.ह.नं. 48, क्षेत्रफल 177.91 हे.	1. नयाखेड़ा, प.ह.नं. 48
2. बूढ़ाखेरा, प.ह.नं. 54, क्षेत्रफल 651.84 हे.	2. सिसगुंवा, प.ह.नं. 54
3. चौकामेड़ा, प.ह.नं. 93, क्षेत्रफल 283.69 हे.	3. डाबलीखेड़ा, प.ह.नं. 93

क्र. 1552.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील गढ़ाकोटा, जिला सागर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर
(1)	(2)
1. टड़ा, प.ह.नं. 01, क्षेत्रफल 227.79 हे.	1. सोजनावार, प.ह.नं. 01

क्र. 1553.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील मालथौन, जिला सागर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित

किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल)

(1)

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर

(2)

1. बौंदरी, करौती प.ह.नं. 71, क्षेत्रफल 173.29 हे.
2. परसोन, प.ह.नं. 105, क्षेत्रफल 172.74 हे.
3. बरोदियाकला, प.ह.नं. 122, क्षेत्रफल 176.21 हे.
1. क्वाला, प.ह.नं. 71
2. पठारी, प.ह.नं. 105
3. प्रेमपुरा, प.ह.नं. 122

क्र. 1554.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील राहतगढ़, जिला सागर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल)

(1)

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर

(2)

1. मेनवारा कला, प.ह.नं. 34, क्षेत्रफल 423.91 हे.
2. जलन्धर, प.ह.नं. 38, क्षेत्रफल 425.13 हे.
1. लखनपुर, प.ह.नं. 34
2. लक्ष्मनपुर, प.ह.नं. 38.

क्र. 1555.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील केसली, जिला सागर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल)

(1)

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर

(2)

1. बम्होरी नाहरमऊ, प.ह.नं. 6, क्षेत्रफल 331.92 हे.
1. नयागांव, प.ह.नं. 6

(1)

(2)

2. नाहरमऊ, प.ह.नं. 13, क्षेत्रफल 161.72 हे.
2. कुण्डलपुर, प.ह.नं. 13.

क्र. 1556.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील सागर, जिला सागर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल)

(1)

(2)

1. करपुर, प.ह.नं. 82, क्षेत्रफल 278.38 हे.
2. घाटमपुर, प.ह.नं. 114, क्षेत्रफल 348.06 हे.
1. खिरिया, प.ह.नं. 82
2. अर्जनाटोला, प.ह.नं. 114.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 19 सितम्बर 2014

क्र. 1090-वर्कलोड-2014.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (ब-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील सिराली, जिला हरदा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल)

(1)

(2)

- कडोलाराधव पटवारी हल्का नं. 24, पृथक किया गया क्षेत्रफल 542.765 हैक्टेयर.
- बीड, प.ह.नं. 24 पृथक किया गया क्षेत्रफल 322.657 हैक्टेयर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.